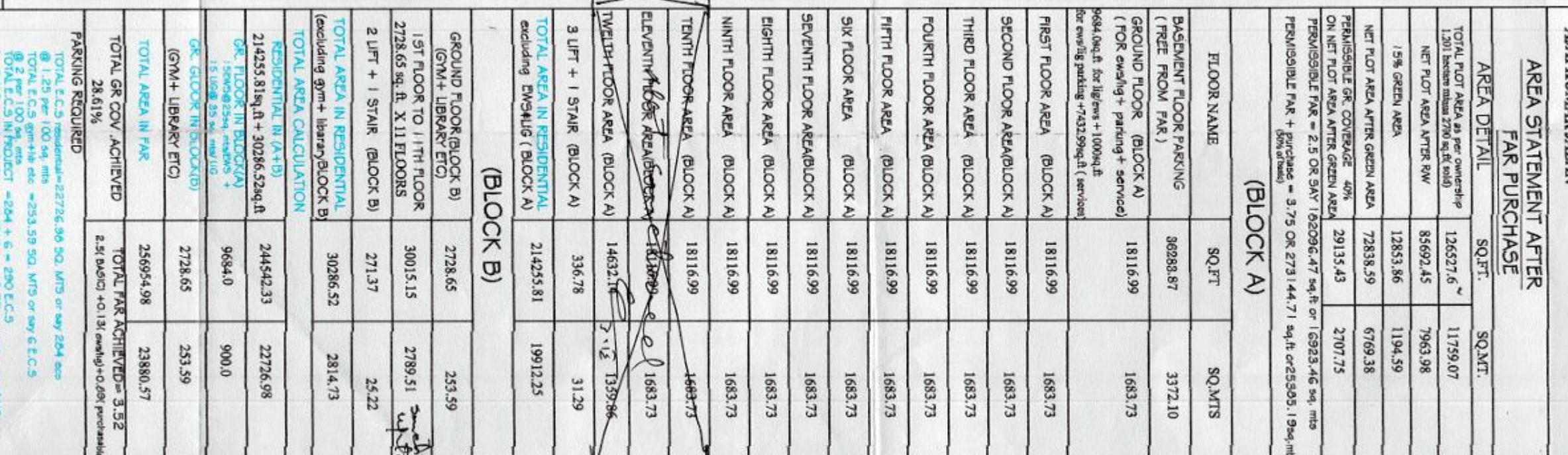
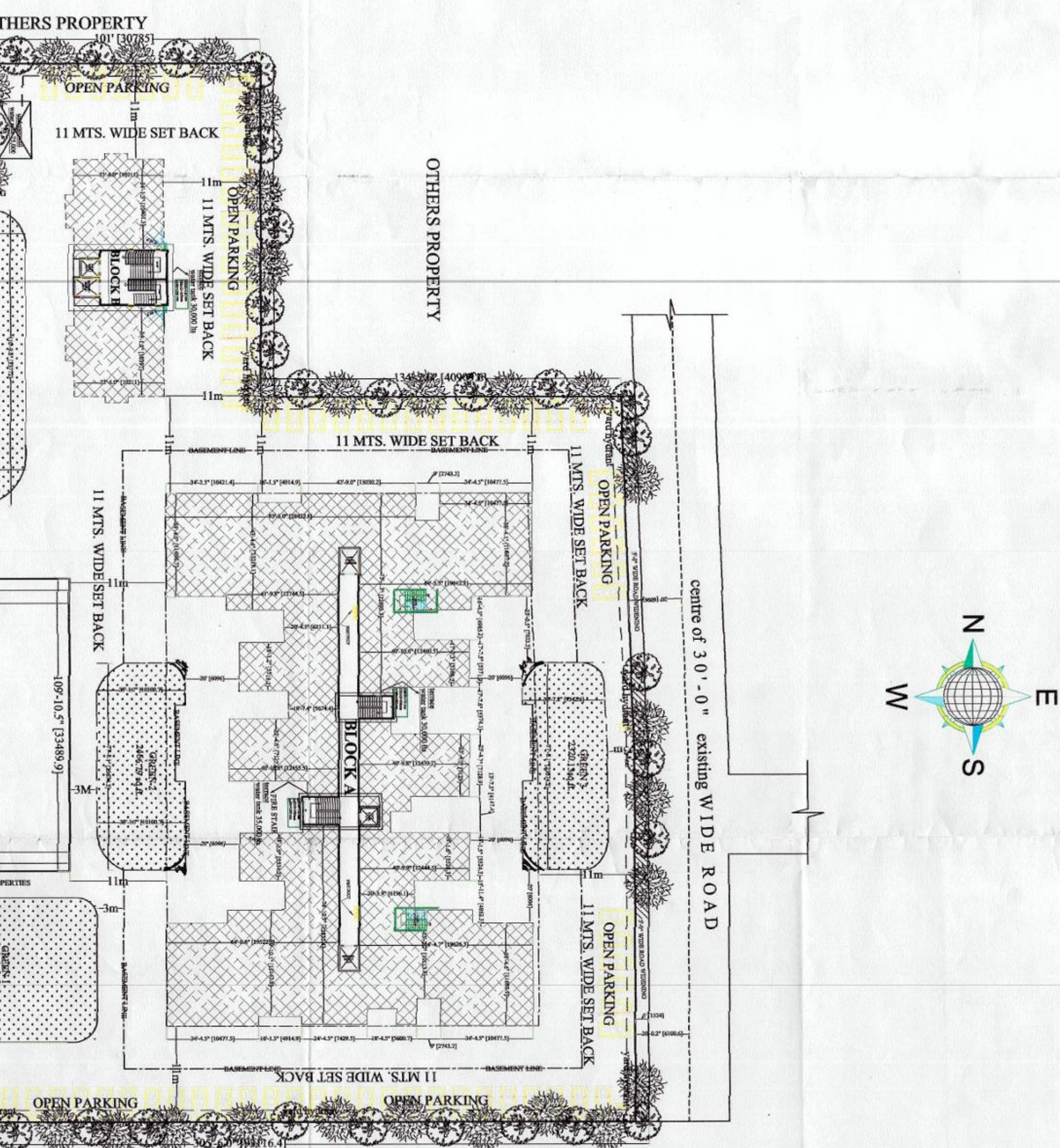
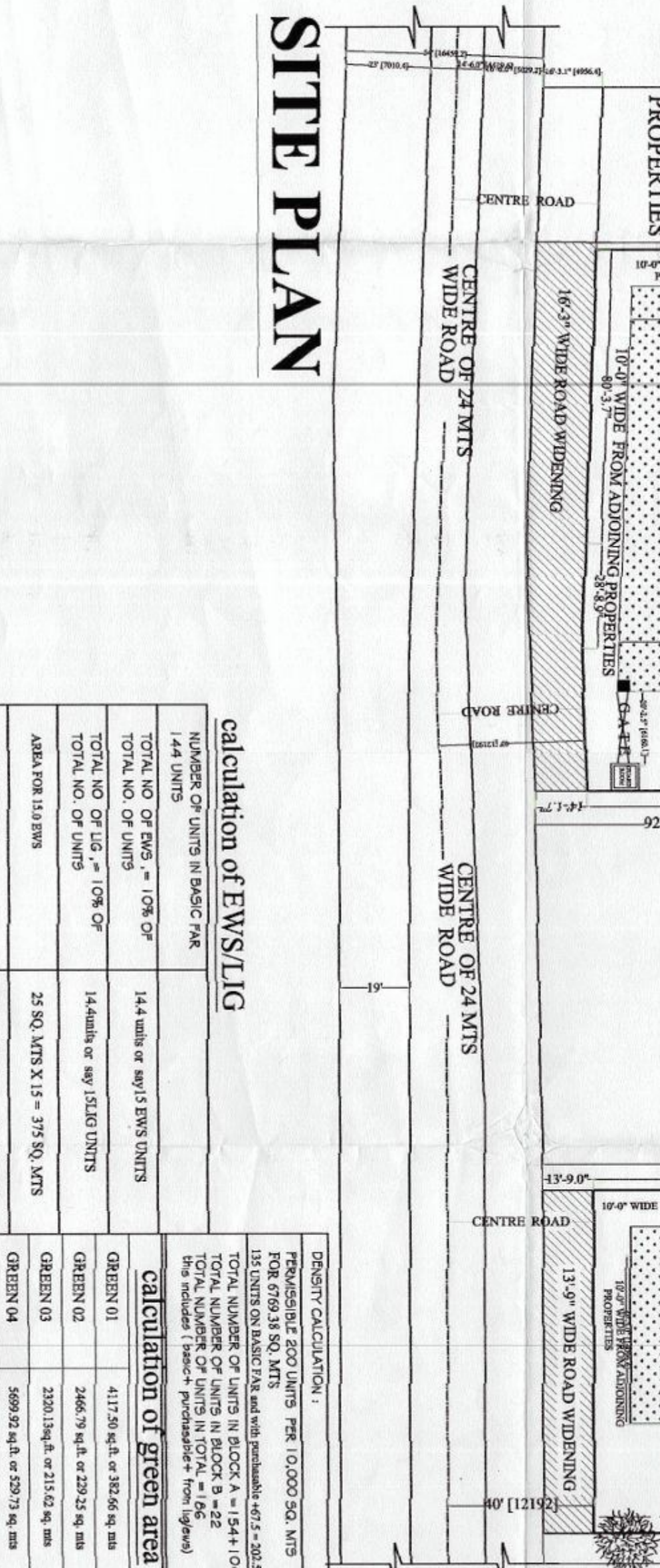


calculation of EWS/LIG	
NUMBER OF UNITS IN BASIC PAK	144 UNITS
TOTAL NO. OF EWS = 10% OF TOTAL NO. OF UNITS	14.4
TOTAL NO. OF LIG = 10% OF TOTAL NO. OF UNITS	14.4
AREA FOR 15.0 EWS	25
AREA FOR 15.0 LIG	35
TOTAL AREA IN EWS + LIG	900

[illegible]

तत्त्व के साथ ही कृत क्रिया

2/2/20

$$\frac{17.0000}{41.7120} = 0.4075$$

प्रा. ०३ के अंतर्गत
मार्ग निर्माण की मर्यादा
अनुसार निर्माण कार्य
१२.५ फीट तक निर्माण
कराया गया है।

$\frac{79}{10} = \frac{79 \times 10}{10 \times 10} = \frac{790}{100}$

10

1. *Phragmites australis*
 2. *Scirpus americanus*
 3. *Cyperus pennisetoides*
 4. *Eleocharis acicularis*
 5. *Sagittaria arifolia*
 6. *Alisma plantago-foliosa*
 7. *Sparganium angustifolium*
 8. *Najas*
 9. *Chara*
 10. *Utricularia*
 11. *Hydrocotyle*
 12. *Salvinia*
 13. *Wolffia*
 14. *Elodea*
 15. *Hydrilla*
 16. *Chara*
 17. *Utricularia*
 18. *Hydrocotyle*
 19. *Salvinia*
 20. *Wolffia*
 21. *Elodea*
 22. *Hydrilla*
 23. *Chara*
 24. *Utricularia*
 25. *Hydrocotyle*
 26. *Salvinia*
 27. *Wolffia*
 28. *Elodea*
 29. *Hydrilla*
 30. *Chara*
 31. *Utricularia*
 32. *Hydrocotyle*
 33. *Salvinia*
 34. *Wolffia*
 35. *Elodea*
 36. *Hydrilla*
 37. *Chara*
 38. *Utricularia*
 39. *Hydrocotyle*
 40. *Salvinia*
 41. *Wolffia*
 42. *Elodea*
 43. *Hydrilla*
 44. *Chara*
 45. *Utricularia*
 46. *Hydrocotyle*
 47. *Salvinia*
 48. *Wolffia*
 49. *Elodea*
 50. *Hydrilla*
 51. *Chara*
 52. *Utricularia*
 53. *Hydrocotyle*
 54. *Salvinia*
 55. *Wolffia*
 56. *Elodea*
 57. *Hydrilla*
 58. *Chara*
 59. *Utricularia*
 60. *Hydrocotyle*
 61. *Salvinia*
 62. *Wolffia*
 63. *Elodea*
 64. *Hydrilla*
 65. *Chara*
 66. *Utricularia*
 67. *Hydrocotyle*
 68. *Salvinia*
 69. *Wolffia*
 70. *Elodea*
 71. *Hydrilla*
 72. *Chara*
 73. *Utricularia*
 74. *Hydrocotyle*
 75. *Salvinia*
 76. *Wolffia*
 77. *Elodea*
 78. *Hydrilla*
 79. *Chara*
 80. *Utricularia*
 81. *Hydrocotyle*
 82. *Salvinia*
 83. *Wolffia*
 84. *Elodea*
 85. *Hydrilla*
 86. *Chara*
 87. *Utricularia*
 88. *Hydrocotyle*
 89. *Salvinia*
 90. *Wolffia*
 91. *Elodea*
 92. *Hydrilla*
 93. *Chara*
 94. *Utricularia*
 95. *Hydrocotyle*
 96. *Salvinia*
 97. *Wolffia*
 98. *Elodea*
 99. *Hydrilla*
 100. *Chara*
 101. *Utricularia*
 102. *Hydrocotyle*
 103. *Salvinia*
 104. *Wolffia*
 105. *Elodea*
 106. *Hydrilla*
 107. *Chara*
 108. *Utricularia*
 109. *Hydrocotyle*
 110. *Salvinia*
 111. *Wolffia*
 112. *Elodea*
 113. *Hydrilla*
 114. *Chara*
 115. *Utricularia*
 116. *Hydrocotyle*
 117. *Salvinia*
 118. *Wolffia*
 119. *Elodea*
 120. *Hydrilla*
 121. *Chara*
 122. *Utricularia*
 123. *Hydrocotyle*
 124. *Salvinia*
 125. *Wolffia*
 126. *Elodea*
 127. *Hydrilla*
 128. *Chara*
 129. *Utricularia*
 130. *Hydrocotyle*
 131. *Salvinia*
 132. *Wolffia*
 133. *Elodea*
 134. *Hydrilla*
 135. *Chara*
 136. *Utricularia*
 137. *Hydrocotyle*
 138. *Salvinia*
 139. *Wolffia*
 140. *Elodea*
 141. *Hydrilla*
 142. *Chara*
 143. *Utricularia*
 144. *Hydrocotyle*
 145. *Salvinia*
 146. *Wolffia*
 147. *Elodea*
 148. *Hydrilla*
 149. *Chara*
 150. *Utricularia*
 151. *Hydrocotyle*
 152. *Salvinia*
 153. *Wolffia*
 154. *Elodea*
 155. *Hydrilla*
 156. *Chara*
 157. *Utricularia*
 158. *Hydrocotyle*
 159. *Salvinia*
 160. *Wolffia*
 161. *Elodea*
 162. *Hydrilla*
 163. *Chara*
 164. *Utricularia*
 165. *Hydrocotyle*
 166. *Salvinia*
 167. *Wolffia*
 168. *Elodea*
 169. *Hydrilla*
 170. *Chara*
 171. *Utricularia*
 172. *Hydrocotyle*
 173. *Salvinia*
 174. *Wolffia*
 175. *Elodea*
 176. *Hydrilla*
 177. *Chara*
 178. *Utricularia*
 179. *Hydrocotyle*
 180. *Salvinia*
 181. *Wolffia*
 182. *Elodea*
 183. *Hydrilla*
 184. *Chara*
 185. *Utricularia*
 186. *Hydrocotyle*
 187. *Salvinia*
 188. *Wolffia*
 189. *Elodea*
 190. *Hydrilla*
 191. *Chara*
 192. *Utricularia*
 193. *Hydrocotyle*
 194. *Salvinia*
 195. *Wolffia*
 196. *Elodea*
 197. *Hydrilla*
 198. *Chara*
 199. *Utricularia*
 200. *Hydrocotyle*
 201. *Salvinia*
 202. *Wolffia*
 203. *Elodea*
 204. *Hydrilla*
 205. *Chara*
 206. *Utricularia*
 207. *Hydrocotyle*
 208. *Salvinia*
 209. *Wolffia*
 210. *Elodea*
 211. *Hydrilla*
 212. *Chara*
 213. *Utricularia*
 214. *Hydrocotyle*
 215. *Salvinia*
 216. *Wolffia*
 217. *Elodea*
 218. *Hydrilla*
 219. *Chara*
 220. *Utricularia*
 221. *Hydrocotyle*
 222. *Salvinia*
 223. *Wolffia*
 224. *Elodea*
 225. *Hydrilla*
 226. *Chara*
 227. *Utricularia*
 228. *Hydrocotyle*
 229. *Salvinia*

Handwritten signature: Pradeep Kumar Jaiswal

12/16/13

१. नैव ह्यसंशयं के सत्य स्वीकृत किं वा
 ॥ है कि अत्येक विधान कदा अत्रने
 भास के अने या आभासीय पसिर में
 हुआ का आगेण अत्रान करेण ।
 २. वय की स्वीकृति से किमो के स्वाभिर
 कोही प्रतिफल प्रभाव नहीं होगा ।

[Signature]

12

arazi number: 101 mif 101/2

PAWAN KUMAR JALAN
ANIRUDH KUMAR JALAN
AJAY KUMAR JALAN

sheet number 02

	CKD BY
iyaz	

ACORE ARCHITECTURAL SERVICES PVT. LTD

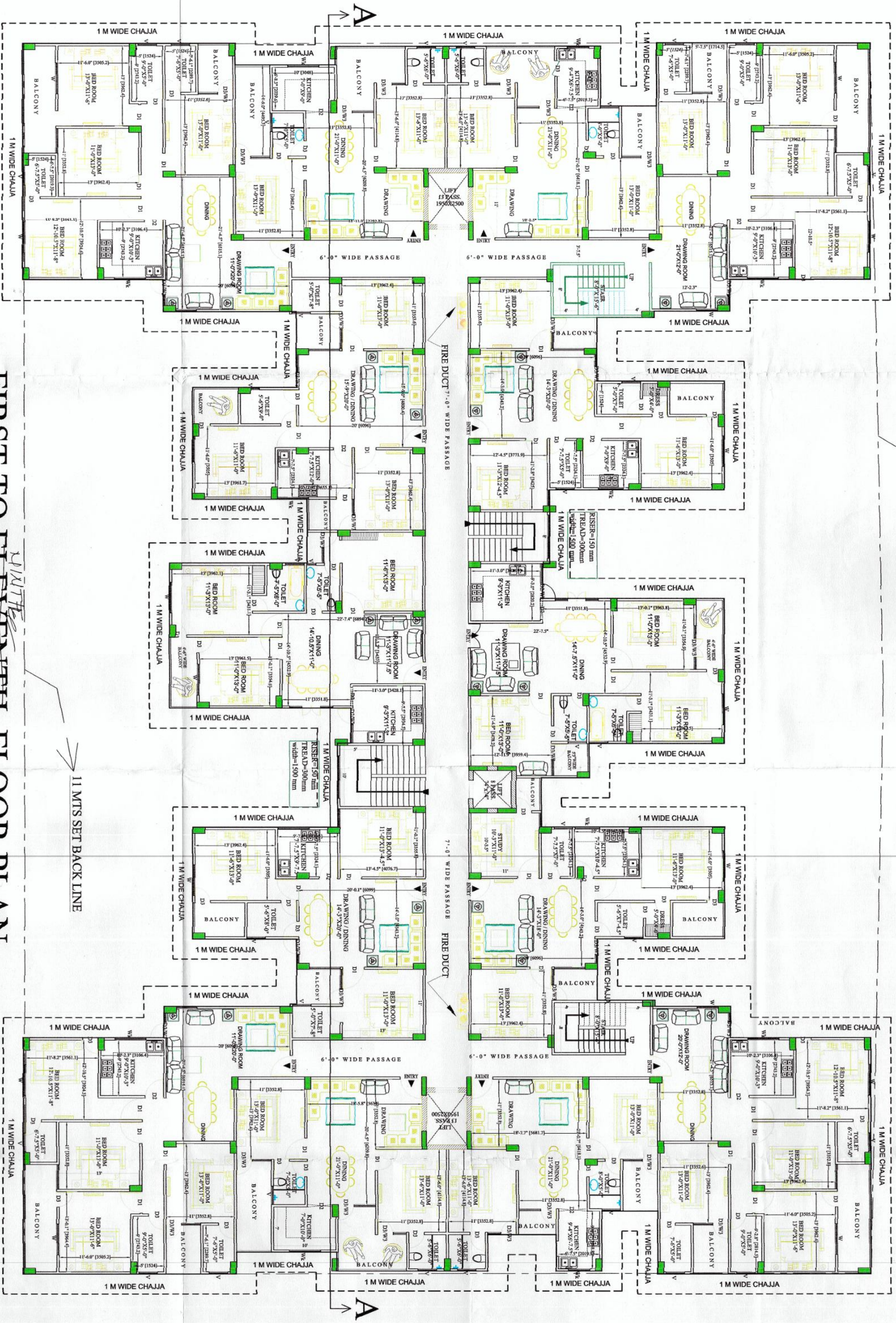
ARCHITECT
C.O.A. Reg. No.

GORAKHNATH RAILWAY CROSSING GORAKHPUR

C.O.A. Reg. No.

TEL : OFF-32964813 RESI-7255290 MOBI F-941532183

(BLOCK A)



11 MTS SET BACK LINE



गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

(भवन अनुभाग)

पत्रांक.....

सेक्टर.....01.....

दिनांक.....

सेवा में,

श्री/श्रीमती/मेसर्स...श्री. ताराम. जा. मान. कार्प....

सु. - मि. वि. प्र. पंचदेव...

आपके पत्र दिनांक...12.12.2012...मानचित्र सं०...1851/2012...के संदर्भ में आपके प्रस्तावित भवन निर्माण को मोहल्ला/कालोनी...मि. वि. प्र. पंचदेव...भूखण्ड/भवन सं०...101, 101/2...पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजना के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा।
7. आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम.....अ. 2.....पेड़ लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत चित्र इसके साथ संलग्न है। भवन समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।
10. प्राधिकरण से अध्यासन (आकूपैन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकूपायी) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
11. दरवाजे वा खिड़कियाँ इस तरह से लगायें जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हों।
12. बिजी की लाइन से 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
13. सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
14. यह मानचित्र उ० प्र० नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो यह शर्त भी मान्य होगी।
15. सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
16. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
17. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र...28.12.12....का पालन करना होगा।

संलग्न : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।


सचिव

गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

(आर० बी० प्रपत्र संख्या ३३८)

प्रपत्र-३

Rs-100=only

RV 02/1650

dt. 12-1-12

सूचना प्राप्त करने का आवेदन पत्र

(नियम १२६०) (ए)

मूलवाद

अपील

पुनरीक्षण

उरी भाग सूचिव नम्बर २००

के सम्बन्ध में

न्यायालय में विचाराधीन है।

बनाम

प्रार्थी को निम्नलिखित प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना दी जाए।

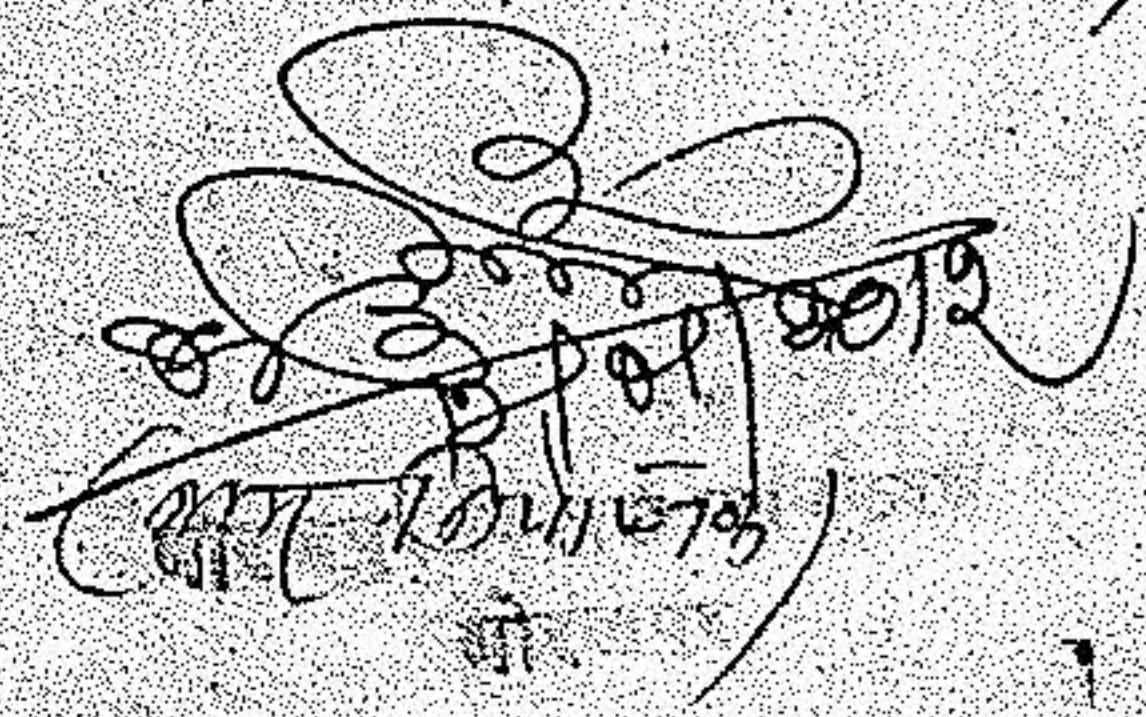
1 मोके - 1406 / मिमोजन 3884 प्रश्न भेजे 50/11-12

उत्तर दिने 12-01-12

1 ग्राम मिर्गीपुर पंचायत
पञ्चना इलेक्ट्री लहरी
सका जिला गोरखपुर
महाराजी नं. 101 व 102
का भू प्रयोग क्या है

इस कागजी में उपलब्ध
सजा के अनुसार मिर्गीपुर पंचायत
के कागजी संख्या - 101 व 102 का भू-प्रयोग
महापञ्चा - 2021 के अनुसार 2410 मीटर
चौड़ा महापञ्चा भूमि एवं आवासीय है
तालाब व जलाशय की स्थिति
में यथावत देखा/ भू-प्रयोग की आठवा
महापञ्चा के सजा या स्वागन्ताप एवं
जैमिगं रेगुलेशन से प्रतिबंधित है

12/01


सहायक जिला अधिकारी
गोरखपुर

दिनांक 12-1-2012

उत्तर देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर व पद

पक्ष या वकील का हस्ताक्षर सत्य प्रकाश शर्मा

टिप्पणी :- यह पत्र उत्तर के साथ लौटा दिया जायेगा यदि अभिलेख नहीं है तो यह बात बता देनी चाहिए और प्रार्थी से निर्दिष्ट दिनांक को फिर आने के लिए कह देना चाहिए।